तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/4/26	पत्रावली पेश हुई। उ0 पत्र मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश किये जाने बाबत का पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उ0 पत्र मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश किये जाने बाबत पर [illegible] बहस सुनी गई। उ0 पत्र खारिज किया जाता है। [illegible] वादी ओफिस डिक्री किया जाता है। विरुद्ध निर्णय हस्ताक्षर के निस्तारण [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर किया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

जीतेन्द्र शर्मा पुत्र देवीशरण शर्मा जाति ब्राहमण आयु 39 साल निवासी इन्द्राकालोनी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. मुरारी पुत्र हाबू आयु 65 साल
2. गोपीलाल पुत्र हाबु आयु 58 साल
3. मांगीलाल पुत्र जतन आयु 67 साल
4. बत्तीलाल पुत्र जतन आयु 66 साल
5. रोशन पुत्र जतन आयु 65 साल

(1 से 5) सभी जाति माली निवारी धनीराम सरपंच का पुरा करौली तहसील व जिला करौली

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 27/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री अशोक सिंह, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 2018/2 रकबा 18 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली वादी के खातेदारी व कब्जे की रहेगी एवं खसरा नंबर 2018/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2019 रकबा 11 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के खातेदारी व कब्जे की रहेगी। जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 व 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 5 का 1/6 हिस्सा संयुक्त रहेगा। रहन इन्द्राज बीओबी शाखा बदस्तूर रहेंगे। बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा अंतिम निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति मय बंटवारा प्रस्ताव पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे।
निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 2/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–27/23 तारीख रजु:–6.7.23

उनवान

जीतेन्द्र शर्मा पुत्र देवीशरण शर्मा जाति ब्राहमण आयु 39 साल निवासी इन्द्राकालोनी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. मुरारी पुत्र हाबू आयु 65 साल
2. गोपीलाल पुत्र हाबु आयु 58 साल
3. मांगीलाल पुत्र जतन आयु 67 साल
4. बत्तीलाल पुत्र जतन आयु 66 साल
5. रोशन पुत्र जतन आयु 65 साल

सभी जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली तहसील व जिला करौली

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 2/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं0 2018 रकवा 2 वीघा 3 विस्वा, व खसरा नं0 2019 रकवा 11 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा पटवार हल्का नं0 8 करौली तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 3 व 4 का हिस्सा 2/9 है व प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। मुताबिक हिस्सा फरीकेन वहामी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज बतौर खातेदार है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य साविक खातेदारान के समय में वहामी बंटवारा हो गया था और मुताबिक वहामी बंटवारा यौम वयनामा वादी को मौके पर सभी प्रतिवादीगण की सीमति से कब्जा दिया गया वहामी बंटवारा अनुसार खसरा नं0 2019 में प्रतिवादी सं0 3 ता 5 काबिज है और उन्होने अपने हिस्से की आराजीयात में

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

मुझ वादी की पक्की चिनाई की बाउण्ड्री के सहारे लगे सडक पक्की दुकाने निर्माण करली है और होटल वनाली है और वह उन पर काबिज रहकर अपना कारोबार चला रहे है शेष उत्तरी व पूर्वी हिस्सें पर काश्त कर रहे है खसरा नं0 2019 में वगेंवा व दिशा पश्चिम लगे सडके खसरा नं0 2018 में स्थित कुंआ सहित वादी ने रकवा 1 वीघा में सन् 2014 वक्त खरीद से पक्की बाउण्ड्री करीब 6 फिट उंची मौके पर सभी प्रतिवादीगण की सहमति से सडक साईड छोडकर तीन और से वनाली है जो मौके पर आज भी मौजूद है। और मुताबिक हिस्सा वादी अपने हिस्से की भूमि को वाहिद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पश्चिम में प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के देवताओं का सीन है जो लंबे सडके से खसरा नं0 2018 की उत्तरी सीमा के अन्त तक रकवा 5 विस्वा भूमि पडत पडी हुई है जिसमें एक छतरी देवताओं की बनी हुई है देवताओं के सीन के पश्चिम में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पुरानी आबादी छान, पाटोर, व पक्की मकानियत खसरा नं0 2018 की उत्तरी पश्चिमी डौली के सहारे पुरानी आबादी है व उसके आगे झोपडी बनी हुई है लंबे सडक का हिस्सा खाली है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 मौके पर फसल काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहे है। उक्त वाहमी बंटवारा मुझ वादी की खरीद से पूर्व साविक खातेदारान परसादी, नेरू, मुंशी पिसरान चौथ्या, देवली, मन्नी, किस्तूरी पुत्रीयान चौथ्या माली एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 मुरारी, गोपी, पिसरान हाबू, मांगीलाल, रोशन, वत्तीलाल पिसरान जतन के मध्य ही हो चुका था और सभी खातेदारान मुताबिक वाहमी बंटवारा बतौर खातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से की भूमि पर वाहिद रूप से काबिज चले आ रहे है। किसी भ्झी खातेदार का किसी दूसरे खातेदार हिस्सेदार की भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार मालिकाना काबिजाना नही है और सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर वाहिद रूप से वहैसियत मालिक खातेदार काबिज चले आ रहे है और मौके पर 12 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर बिना किसी विवाद के एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का कब्जा मुखालफाना है। चूंकि फरीकेन के मध्य वहामी बंटवारा रजिस्टर्ड नही होने से बंटवारे का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नक्शों में नही हो पाया है फरीकेन को कानूनी जानकारी नहीं होने से वहामी बंटवारा फरीकेन मे आपसी सहमति से एक ही परिवार के सदस्य व एक दूसरे पर विश्वास होने के कारण रजिस्टर्ड नही कराया गया था। चूंकि सभी हिस्सेदार वर्तमान में अपने अपने हिस्से की भूमि पर बिना किसी रोक टोक के निर्विवाद रूप से काबिज है मुताबिक वहामी बंटवारा वादी हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस अंकन कराने का व कब्जेअनुसार अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग खानदान के अलग अलग व्यक्ति है और अपने अपने हिस्से के सेपरेट खातेदार कब्जेदार है और सभी हिस्सेदारान ने अपने सहूलियत अनुसार मौके पर अपनी अपनी भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त आराजीयात लंबे सडक होने से मुझ वादी के हिस्से की भूमि में आधार मवेशी एवं रास्ता चलते लोग एवं दीगर लोगों के द्वारा फसल में अनुचित नुकसान हो जाता है जिससे वादी को पूर्ण फसल का लाभ नही मिल पाता है वादी ने प्रतिवादी नं0 1 ता 5 से मुताबिक बंटवारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने के लिये कई बार कहा है प्रतिवादीगण बार बार समय अभाव का बहाना बनाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने हेतु टालम टोल कर रहे है। वादी ने दिनांक 14.6.2023 को प्रतिवादीगण से पुनः उक्त वहामी ब ।अवारे को तहसील में चलकर आपसी सहमति से खाता व लगान अलग–अलग कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने समय अभाव का वहना बनाकर बंटवारे को रिकोग्नाईज कराने को तैयार नही हुये और कहने लगे हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है आप चाहो तो अपने हिस्से का बंटवारा कब्जे अनुसार अलग से खाता वनवालों प्रतिवादीगण की इस कार्यवाही से मुझ वादी के हकूकों पर वेजा नुकसान हो रहा है और मै वादी अपने फसल का पूरा लाभ नही ले पाने ले पाने के कारण उक्त वादपत्र बंटवारा पेश करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण द्वारा वहामी बंटवारानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही कराने की इस अवैध व अनाधिकार कार्यवाही से मुझ वादी के हक हकूकों पर भारी कुठाराघात है मै वादी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हिस्सा 1/3 वहामी बंटवारा अनुसार अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का कब्जा अनुसार बंटवारा इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे कराने व वाहमी बंटवारे को रिकोग्नाईज का अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात मै वगैर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराये अपने हिस्से की भूमि पर मुताबिक वहामी बंटवारा निर्माण कर रहे है और कृषि भूमि को अकृषि में बिना विधिवत भूमि संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य कर रहे है जिससे हक हकूक वादी पर कुठाराघात है और वादी को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना भूमि संपरिवर्तन कराये वगैर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई नवनी निर्माण नही करे ना ही कृषि भूमि का उपयोग कृषि के अलावा अन्य किसी उपयोग में नही लेवे। विनाय मुखासमत दिनांक 14.6.2023 को प्रतिवादीगण से अंतिम बार मुताबिक वहामी बंटवारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज कराने व बंटवारे का अमल मुताबिक वहामी बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा टालमटोल करने व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग में बिना विधिवत भूमि संपरिवर्तन कराये लेने की कहने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। दावा वादी अंदर मियाद पेश है। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

उक्त दावा वाद सुनवाई दिनांक 06.03.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार करौली से बंटवारा स्कीम तलब की गई। बंटवारा स्कीम दिनांक 23.03.2026 को प्राप्त होने पर दिनांक 27.03.2026 को शामिल पत्रावली की गई। बंटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 2018/2 रकबा 18 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली वादी के खातेदारी व कब्जे की रहेगी एवं खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2018/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2019 रकबा 11 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के खातेदारी व कब्जे की रहेगी। जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 व 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 5 का 1/6 हिस्सा संयुक्त रहेगा। रहन इन्द्राज बीओबी शाखा बदस्तूर रहेंगे। बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा अंतिम निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति मय बंटवारा प्रस्ताव पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/4/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली